THE WORLD BANK

जल शक्ति मंत्रालय
MINISTRY OF JAL SHAKTI

ATAL BHUJAL YOJANA

SPMU, HARIYANA

अटल भूजल योजना

सहभागी भूजल प्रबंधन
मेरा पानी मेरा विरासत

ग्रामस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

Dev Rishi Educational Society
D.R.E.S.

अटल भूजल योजना अन्तर्गत विभाग और योजनाओं का विवरण

वर्ष 2023–24 मॉडयूल–2

अटल भूजल योजना

जल (ATAL JAL) केंद्र सरकार द्वारा सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल प्रबंधन की एक योजना हैद्य यह योजना 'जल उपयोगकर्ता संघों' की स्थापना, जल बजट, ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजना के निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी की परिकल्पना करता है। यह कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। यह योजना भारत सरकार और विश्व बैंक (World Bank) द्वारा वित्तपोषित है।

अटल भूजल योजना के अंतर्गत विभाग और योजनाओ का विवरण

PMKSY
Pradhan Mantri
Krishi Sinchai Yojana

- फव्वारा सिंचाई प्रणाली (MICADA)
- टपका सिंचाई प्रणाली (MICADA)
- On Farm Water Tank (MICADA)

मेरा पानी-मेरा विरासत

- मेरा पानी मेरी विरासत योजना (MPMV)
- धान की सीधी बुवाई (DSR)

हरियाणा सरकार GOVT. OF HARYANA

- संरक्षण जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन योजना (CRM)
- बागवानी हेतु आवेदन प्रक्रिया (IHD)
- प्राकृतिक खेती (NFS)

फव्वारा सिंचाई प्रणाली (Sprinkler Irrigation)

फव्वारा सिंचाई एक ऐसी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को हवा के दबाव द्वारा छिड़काव किया जाता है। जिससे फसलों को समान रूप से सिंचाई मिलती है। यह अधिकतम क्षेत्र को एक समय में सिंचाई करने में मदद करता है।

लाभ:

- **कम पानी की खपत:** पारंपरिक खेती प्रणाली में प्रति सब्ज़ी चक्र में लगभग 15 – 20 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
- फव्वारा सिंचाई से उगाई जाने वाली सब्जियों में पानी की खपत केवल 6 लाख लीटर प्रति एकड़।
- फव्वारा सिंचाई प्रणाली से उगाई जाने वाली सब्जियों में पानी का उपयोग 60 प्रतिशत तक कम हो जाता है।
- **उपज में वृद्धि:** इस तकनीक से उगा जाने वाली सब्जियों की उपज में 25–30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है।

टपका सिंचाई (Drip Irrigation)

टपका सिंचाई एक ऐसी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को थोड़ी-थोड़ी मात्र में, कम अन्तराल पर, प्लास्टिक की नालियों द्वारा सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है।

- **कम पानी की खपत:** पारंपरिक खेती प्रणाली में प्रति फसल चक्र में लगभग 15 –20 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
- टपका सिंचाई प्रणाली से उगा जाने वाली सब्जियों में पानी की खपत केवल 4 लाख लीटर प्रति एकड़ है।
- सूक्ष्म प्रणाली से उगा जाने वाली सब्जियों में पानी का उपयोग 70 – 80 प्रतिशत तक कम हो जाता है।
- **उपज में वृद्धि:** इस तकनीक से उगा जाने वाली सब्जियों की उपज में 25–30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है।

अनुदान राशि का विवरण

विभाग का नाम	गतिविधि के प्रकार	योजना का नाम	सब्सिडी	किसानों का हिस्सा	टिप्पणी
MICADA	माइक्रो इरीगेशन सिस्टम (पोर्टेबल / मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) (प्रति क्षुद्र अधिक फसल	85%	15% (किसान हिस्सा) 12% (जीएसटी)	यदि किसानों ने 12.5 एकड़ क्षेत्र में एम आई सिस्टम स्थापित किया है तो वह अगले सात वर्षों के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा

Note : ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली दोनों के लिए सब्सिडी राशि समान है।

On Farm Water Tank योजना सब्सिडी का विवरण

विभाग का नाम	गतिविधि के प्रकार	योजना का नाम	सब्सिडी	किसानों का हिस्सा	टिप्पणी
MICADA	एम आई सिस्टम के उपयोग के लिए	पीएमकेएसवाई (प्रति क्षुद्र अधिक फसल)	70 % (वाटर टैंक) 75 % (सोलर पंप) 85 % (एमआई सिस्टम)	30 % किसान हिस्सा 25 % किसान हिस्सा 15 % किसान हिस्सा + 12% (जीएसटी)	व्यक्तिगत किसान हेतु (On Farm Water Tank
MICADA	एम आई सिस्टम के उपयोग के लिए	पीएमकेएसवाई (प्रति क्षुद्र अधिक फसल)	85 % (वाटर टैंक) 75 % (सोलर पंप) 85 % (एमआई सिस्टम)	15 % किसान हिस्सा 25 % किसान हिस्सा 15 % किसान हिस्सा + 12% (जीएसटी)	किसानों के समूह के लिए (On Farm Water Tank)

पात्रता

- किसान के पास खेती योग्य भूमि होना।
- तालाब के लिए उपयुक्त स्थान होना।
- चार या अधिक किसानों के समूह द्वारा निर्मित तालाब के मामले में, कमांड क्षेत्र के किसानों को 75 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करने के लिए बाध्य होना।
- व्यक्तिगत किसान द्वारा निमित तालाब के मामले में, किसान को 50 प्रतिशत भूमि स्वामित्व में एमआ सिस्टम स्थापित करने के लिए बाध्य होना।
- बटा दार किसान के मामले में, तालाब और एमआ सिस्टम पर सहायता का लाभ भूमि के वास्तविक मालिक को दिया जाएगा।
- विभिन्न स्थानों पर भूमि रखने वाले किसान के मामले में, किसान केवल एक सामुदायिक तालाब के लिए सब्सिडी का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- न्यूनतम 3.34 लाख रुपये (water tank का 5 एकड़ कमांड क्षेत्र) से अधिकतम 20.00 लाख रुपये (water tank का 50 एकड़ कमांड क्षेत्र) की सहायता स्वीकार्य होगी

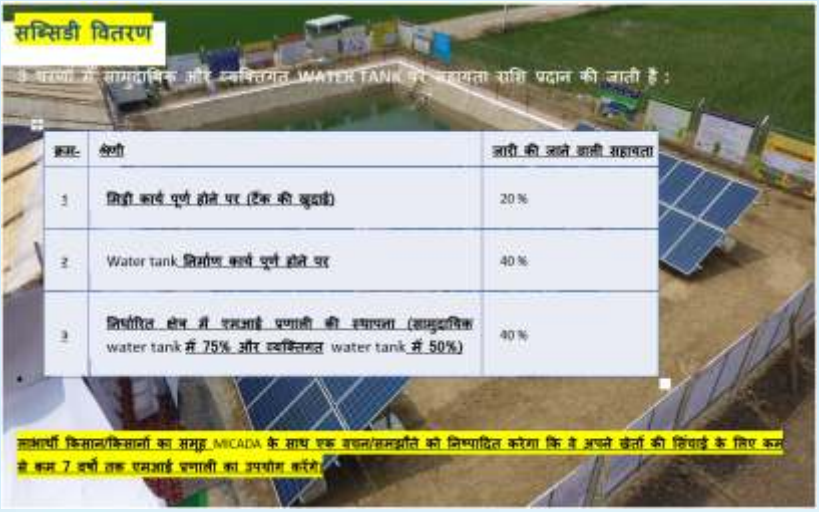

मेरा पानी मेरी विरासत योजना (MPMV)

- खरीफ के दौरान धान की फसल को मक्का/ कपास/ दलहन/ सब्जियों और फलो जैसी वैकल्पिक फसलों में विविधता लाने के लिय मेरा पानी मेरे विरासत की शुरुवात की गयी।

- भौतिक सत्यापन के बाद किसान के खाते में क्ठज के माध्यम से प्रोत्साहन राशि (7000 ₹ प्रति एकड़) का वितरण होगा।

आवेदन प्रक्रिया

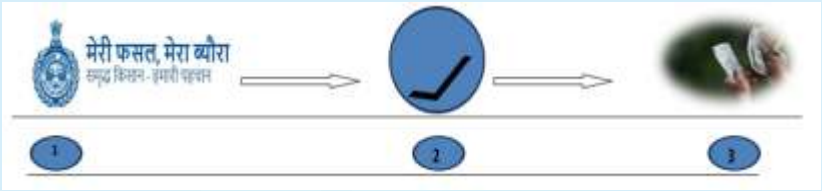

1. किसान भाई "मेरी फसल मेरा ब्योरा" में पंजीकरण करते समय मेरा पानी मेरी विरासत (MPMV) विकल्प का चयन करें
2. कृषि विभाग अधिकारी एवं पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन होगा।
3. भौतिक सत्यापन के बाद किसान के खाते में DBT के माध्यम से प्रोत्साहन राशि (7000 ₹ प्रति एकड़) का वितरण होगा।

बागवानी हेतु योजनाओं का वितरण

क्रम	श्रेणी	फल का नाम	इकाई लागत प्रति एकड़ (रुपए)	अनुदान प्रतिशत	[illegible] अनुदान राशि (रुपए प्रति एकड़)	[illegible] के लिए अनुदान(रुपए प्रति एकड़)
[illegible]	सामान्य पौध रोपण	बेर, चीकू, लीची, आमला, आड़ू, नाशपाती, आलूबुखारा	65,000	50	32,500 (प्रथम वर्ष रु. 19,500) (द्वितीय वर्ष रु.6,500) (तृतीय वर्ष रु. 6,500)	25,500 (प्रथम वर्ष रु. 12,500) (द्वितीय वर्ष रु.6,500) (तृतीय वर्ष रु. 6,500)
[illegible]	सघन पौध रोपण	आम, अमरूद, [illegible], अनार, आड़ू, आलूबुखारा, नाशपाती, पपीता, अंजीर व स्ट्राबेरी	1,00,000	50	50,000 (प्रथम वर्ष रु. 30,000) (द्वितीयवर्ष रु. 10,000) (तृतीय वर्ष रु. 10,000)	43,000 (प्रथम वर्ष रु.23,000) (द्वितीय वर्ष रु. 10,000) (तृतीय वर्ष रु. 10,000)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00,000	70	1,40,000 (प्रथम वर्ष रु. 84,000) (द्वितीय वर्ष रु. 28,000) (तृतीय वर्ष रु. 28,000)	1,40,000 (प्रथम वर्ष रु. 84,000) (द्वितीय वर्ष रु. 28,000) (तृतीय वर्ष रु. 28,000)
[illegible]	ट्रेलिसिंगसिस्टम ([illegible])	[illegible]	1,40,000	50	70,000	70,000

अनुदान की राशि का विवरण

विभाग का नाम	गतिविधि के प्रकार	योजना का नाम	सब्सिडी	किसानों का हिस्सा	टिप्पणी
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा	[illegible]	[illegible]	[illegible] अधिक से अधिक [illegible] रुपए / किसान	[illegible]	एक किसान को अधिक से अधिक [illegible] रुपए का अनुदान मिलेगा।

प्राकृतिक खेती के स्तंभ/सिद्धांत

जीवामृत : जीवामृत जीरो बजट खेती का पहला और महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह भारत के स्वदेशी गुड़, पानी, दाल का आटा, मिट्टी और गाय की नस्ल के पुराने गोमूत्र और ताजा गाय के गोबर का मिश्रण है। यह मिश्रण एक प्रकार का प्राकृतिक उर्वरक है जिसे खेत में लगाया जाता है।

बीजामृत : बीजामृत जीरो बजट खेती का दूसरा स्तंभ है। यह तम्बाकू, हरी मिर्च और नीम की पत्ती के गूदे का मिश्रण है, जिसका उपयोग कीड़ों और कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बीजों के उपचार के लिए किया जाता है, और यह बीजों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है।

अच्छदाना (मल्चिंग) : अच्छादाना (मल्चिंग) जीरो बजट खेती का तीसरा स्तंभ है। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। यह स्तंभ मिट्टी की खेती के आवरण की रक्षा करने में मदद करता है और इसे जुता करके बर्बाद नहीं करता है।

व्हापासा: व्हापासा एक ऐसी स्थिति है जहां मिट्टी में पानी के अणु और हवा के अणु मौजूद होते हैं। यह अतिरिक्त लसचा आवश्यकता को कम करने में मदद करता है। ये जीरो बजट खेती के बुनियादी और आवश्यक स्तंभ हैं।

पॉली हाउस पर अनुदान का विवरण

क्र. सं.	ढांचा का प्रकार	आकार / क्षेत्र	इकाईवार (रु./वर्गमीटर)	सहायता %	सहायतराशि (रुपये/वर्गमीटर)	टिप्पणी
1	पॉली हाउस	500 sqm तक	1650	50	825	सहायता प्राप्त करने की अधिकतम सीमा 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए है।
		500 से 1008 sqm	1465	50	732.5	
		1008 से 2080 sqm	1420	50	710	
		2080 से 4000 sqm	1400	50	700	अनुसूचित जाति श्रेणी के किसान के लिए, सहायता 85% है।